



Neutral Citation No - 2026:AHC:24355

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट-सी संख्या - 2026 की 4316

लोकनाथ राजभर

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 8 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : देवब्रत यादव, राम प्रताप यादव
प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, निजी प्रतिवादी को सूचना जारी कर इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि निजी प्रतिवादी इस आदेश से व्यथित हो, तो आदेश के उपांतरण/परिवर्तन की प्रार्थना करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा प्रार्थित मूल अनुतोष यह है कि प्रतिवादी संख्या 3/अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), गाज़ीपुर को यह निर्देशित किया जाए कि वे वाद संख्या 154/2006 (दूधनाथ एवं अन्य बनाम सुर्जी देवी एवं अन्य) को शीघ्रातिशीघ्र विनिर्णीत करें।
4. प्रकरण अधस्थ न्यायालय के समक्ष दीर्घ काल से लंबित है और पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है, किन्तु आज पर्यन्त प्रकरण में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका यह निर्देशित करते हुए निस्तारित की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 3/अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), गाज़ीपुर उपर्युक्त वाद को विधि के अनुसार कड़ाई से, शीघ्रातिशीघ्र तथा अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति के प्रस्तुतीकरण की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर, अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बगैर, विनिर्णीत करें, जब तक कि कोई विधिक व्याघात न हो।

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

4 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सकलैन

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"